केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/एसपीपीएस/ओएसएम **दिनांक: 16.03.2026**

परिपत्र

विषय: सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी के संबंध में परामर्श - उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई

बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो मूल्यांकन प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं अथवा जो डिजिटल मूल्यांकन कार्य में संलग्न हैं–सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक एवं तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाइयां हितधारकों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा कर रही हैं और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं।

बोर्ड एतदद्वारा सभी संबंधितों को सूचित करता है कि:

- सोशल मीडिया पर सीबीएसई परीक्षाओं या मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रसार करना सख्त निषिद्ध है।
- लोगों को भ्रमित करने और गुमराह करने के लिए व्यक्तियों को सीबीएसई के नाम, सीबीएसई के लोगो और सीबीएसई भवन की तस्वीरों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त पाए गए व्यक्ति संबंधित प्रावधानों के तहत **कानूनी कार्रवाई** के लिए उत्तरदायी होंगे।
- हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी पोस्टों पर विश्वास न करें और उन्हें महत्व न दें जो सीबीएसई द्वारा पोस्ट नहीं की गई हैं।
- आधिकारिक अपडेट और संचार केवल सीबीएसई के अधिकृत चैनलों और वेबसाइट के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
- बोर्ड सोशल मीडिया पर अप्रमाणित जानकारी होस्ट न करके परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और गोपनीयता बनाए रखने में सभी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता है।

ह/-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

के. मा. शि. बो., एकीकृत कार्यालय परिसर, सेक्टर–23, फेज–1, द्वारका, नई दिल्ली–110077
CBSE Integrated Office Complex, Sector-23, Phase-1, Dwarka, New Delhi-110077
Phone (off.) : 011-24050336-42, Website: www.cbse.gov.in